महत्वपूर्ण एवं खास

आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिये 20 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़ । एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ ग्रामीण के आंगनबाड़ी केन्द्र में सहायिका 3 पद रिक्त है, जिसके लिये 20 जुलाई 2021 शाम 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए गए है। जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों में सहायिका हेतु आवेदन मंगाये गये है इनमें सेक्टर लोईंग के ग्राम पंचायत बरलिया, बंगुरसिया के तिलगा एवं नंदेली के ग्राम-बायंग शामिल है। इच्छुक आवेदिका नियत एवं समय पर अपना आवेदन एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ (ग्रामीण)में सीधे कार्यालयीन अवधि में जमा कर सकते है। इन संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिये कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते है।

समय-सीमा में हो राजस्व प्रकरणों का निराकरण- कलेक्टर

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह आज खरसिया एसडीएम कार्यालय के औचक निरीक्षण में पहुंचे। यहां उन्होंने राजस्व न्यायालय और ई-कोर्ट के प्रकरणों की जांच की तथा इससे संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया। दस्तावेजों के संधारण में त्रुटियां मिलने व संतोषजनक कार्य नहीं करने पर उन्होंने एसडीएम न्यायालय के डायवर्सन प्रकरण देखने वाले रीडर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर भीम सिंह आज दोपहर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने डायवर्सन, भू-अर्जन धारा 170 ख, 145 में पुराने प्रकरणों से संबंधित अभिलेखों की जांच की। इनमें से विभिन्न प्रकरण समय-सीमा के बाद काफी लम्बे समय से गैर निराकृत पाए गए। इस पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई और संबंधित रीडर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अगले एक माह में सभी प्रकरणों की समीक्षा कर समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह इसके पश्चात तहसील न्यायालय में लंबित प्रकरणों की जांच की। उन्होंने न्यायालय में चल रहे नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन प्रकरणों की स्थिति की जानकारी ली। इनमें से कुछ प्रकरण 2 साल से अधिक समय से लंबित पाए गए। कलेक्टर सिंह ने इस पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रकरणों का समय पर निपटारा किया जाये। इसके साथ ही उन्होंने राजस्व प्रकरणों का ई-कोर्ट में पंजीयन करने, पटवारी, आरआई द्वारा समय पर प्रतिदिन प्रस्तुत करने आदेश पश्चात अभिलेख दुरूस्तीकरण का कार्य तत्काल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित राजस्व सेवाओं के प्रकरणों का समय-सीमा पर निराकरण किया जाए।

जिले में 7 से 16 जुलाई तक मनाया जायेगा वजन त्यौहार

रायगढ़ । 0 से 5 वर्ष आयु के बच्चों में पोषण स्तर के आंकलन के लिए कल 07 जुलाई से 16 जुलाई तक जिले के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में वजन त्यौहार मनाया जाएगा। वजन त्यौहार में पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन से बच्चों का वजन लिया जाएगा। वजन त्यौहार में आंगनबाड़ी केन्द्र में आने वाली 11 से 18 वर्ष की सभी किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य विभाग द्वारा हिमोग्लोबिन टेस्ट कराने के साथ ही उनका बीएमआई भी ज्ञात किया जाएगा। इससे किशोरियों में एनीमिया का स्तर पता कर उसके नियंत्रण में मदद मिलेगी। वजन त्यौहार में जनप्रतिनिधियों और समुदाय की सक्रिय सहभागिता भी ली जाएगी। वजन त्यौहार में बच्चों का वजन लेने के बाद उसे ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में एंट्री कर पोषण स्तर ज्ञात किया जाता है। कुपोषण का निर्धारण उसके तीन मापदण्डों अल्प वजन, बौनापन और दुर्बलता के आधार पर किया जाता है। इसलिए वजन त्यौहार में आयु, वजन के साथ-साथ बच्चों की ऊंचाई भी मापी जाती है। हर साल प्रत्येक बच्चे की जानकारी सॉफ्टवेयर में दर्ज हो जाने से राज्य में कुपोषित बच्चों की स्थिति का डाटाबेस तैयार हो जाता है। इससे कुपोषण कम करने की कार्ययोजना बनाने में मदद मिलती है। इस वर्ष कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए उसके सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए वजन त्यौहार का आयोजन किया जायेगा। इस दौरान कोई बच्चा वजन लेने से छूट जायेगा तो उक्त अवधि में पल्स पोलियो की तर्ज पर घर-घर जाकर बच्चों का वजन लिया जायेगा। यदि किसी घर के बच्चे किसी अन्यत्र रिश्तेदार के यहां गए हो तो ये बच्चे जिस भी गांव में गए हो उस गांव में इन बच्चों का वजन किया जायेगा। पर्यवेक्षक द्वारा इसका पर्यवेक्षण किया जायेगा।

31 जुलाई तक पूरा करें वृक्षारोपण-कलेक्टर भीम सिंह

» कलेक्टर सिंह ने ली समय-सीमा की बैठक

रायगढ़ । मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पौधा रोपण का कार्य 31 जुलाई तक पूरा कर लिया जाये। इसके लिए पंचायतों और वन प्रबंधन समिति से मिले प्रस्ताव के आधार पर उन्हें जल्द पौधे वितरित करें। उक्त बातें कलेक्टर भीम सिंह ने आज समय-सीमा की बैठक में वन और कृषि विभाग के अधिकारियों से कही। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण का कार्य समय-सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाये। उन्होंने उद्योगों द्वारा भी वृक्षारोपण करवाये जाने हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया।

कलेक्टर सिंह ने गौठानों में वर्मी कंपोस्ट उत्पादन की समीक्षा की। उन्होंने गौठानों में गोबर खरीदी के लिये अस्थायी शेड बनाने के निर्देश सभी सीईओ जनपद को दिए। इसके साथ ही गौठानों में कार्यरत समूहों के लाभांश का वितरण भी समय-सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गौठानों में कंपोस्ट निर्माण, भण्डारण व उठाव की जानकारी ली। गौठानों से खाद का उठाव, समितियों में करने के निर्देश दिए। गौठानों में जो समितियां गंभीरता से कार्य नहीं कर रही है उनको हटाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। वर्मी कंपोस्ट निर्माण में कन्वर्जन रेशियों को सुधारने के लिये कहा। गौठानों में मल्टी एक्टिविटी के तहत मिनी राइस मिल प्रदान करने के लिये निर्देशित किया।

बैठक में कलेक्टर सिंह कोविड की अगली संभावित लहर से निपटने की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने ऑक्सीजन पाईप लाईन विस्तार कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। सीएमएचओ ने बताया कि एमसीएच अस्पताल में पाईप लाईन लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। कलेक्टर सिंह ने इसके पश्चात धरमजयगढ़ में पाईप लाईन विस्तार का काम शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने मेडिकल कालेज में भी कोविड के मद्देनजर किए जा रहे अपग्रेडेशन के कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिये कहा। कलेक्टर सिंह ने बैठक में युवा केन्द्रों के निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। बताया गया कि 3 स्थानों पर निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। उन्होंने पुस्तक तथा अन्य व्यवस्थायें सुनिश्चित करते हुये जल्द केन्द्रों का संचालन प्रारंभ करने के निर्देश दिए। शेष अन्य जगहों पर भी कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर सिंह राजस्व न्यायालय से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा करते हुये कलेक्टर सिंह ने सभी एसडीएम को उनके अनुविभाग अंतर्गत ऐसे सभी प्रकरण जो समय-सीमा से बाहर लंबित है उनकी समीक्षा करते हुये एक माह के भीतर निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने मुख्यमंत्री जन चौपाल, पीजी पोर्टल, कलेक्टर जन चौपाल के लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने प्रकरणों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान एडीएम राजेन्द्र कटारा, आयुक्त नगर निगम एस.जयवर्धन, सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल, अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

❐ **चारागाहों में लगाये जायेंगे 7 लाख नेपियर रूट्स-** कलेक्टर सिंह ने गौठानों में चारागाह निर्माण की समीक्षा की। उन्होंने उप संचालक पशुपालन को निर्देशित किया कि जुलाई माह में हरा चारे के लिये नेपियर रूट्स प्लांटेशन का काम पूरा कर लिया जाये। ज्ञात हो कि जिले में लगभग 7 लाख नेपियर रूट्स का रोपण चारागाहों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर चारागाह के लिये भूमि पर अतिक्रमण है उसे तत्काल हटवायें। जहां अतिरिक्त भूमि उपलब्ध नहीं है वहां गौठान में ही चारागाह बनायें।

❐ **एक हफ्ते में शुरू करें हाट-बाजार-** कलेक्टर सिंह ने जिले के 23 चिन्हांकित स्थानों में अगले एक हफ्ते में हाट-बाजार का संचालन शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र में इसकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। हाट-बाजार के लिये क्रय की गई एमएमयू की डिलीवरी जल्द कराने के निर्देश दिए।

❐ **वर्चुअल योग मैराथन में प्रदेश में सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन के लिये रायगढ़ को मिला सम्मान-** 21 जून अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस पर समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित वर्चुअल योग मैराथन में सर्वाधिक लोगों की सहभागिता के लिये रायगढ़ जिले को प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया गया। जिले से 01 लाख 43 हजार से अधिक लोगों ने वर्चुअल मैराथन में रजिस्ट्रेशन कराकर शामिल हुये। इसके लिये कलेक्टर सिंह ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ सभी संबंधित विभागों को बधाई व शुभकामनायें दी।

अवैध परिवहन में लगे 2 ट्रक, 2 डंपर व 24 ट्रैक्टर जब्त

» जिले में अवैध रेत उत्खनन रोकने जिला पुलिस ने चलाई अभियान

रायगढ़। मानसून आते ही रेत माफिया रेत की अवैध खनन में सक्रिय हो जाते हैं जिसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा द्वारा सभी थाना, चौकी प्रभारियों को नदी से अवैध रेत उत्खन्न पर रोक लगाने वालों पर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया था साथ ही अवैध तरीके से डंप करने वालों पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे जिस पर दिनांक 05/07/2021 को एक ही दिन विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत 32 प्रकरण अवैध रेत परिवहन एवं संग्रहण के बनाये गये है, जिसमें परिवहन में प्रयुक्त वाहनों 28 वाहन (2 ट्रक, 2 डंपर व 24 ट्रेक्टर) एवं रेत के अवैध संग्रहणकर्ताओं पर धारा 102 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की गई है तथा पृथक से कार्रवाई की सूचना खनिज विभाग को दी गई है।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर सबसे अधिक 7 प्रकरणों में साथ ट्रैक्टर कोतरारोड़ पुलिस द्वारा जप्त किए गए हैं। वही घरघोड़ा पुलिस द्वारा 05 प्रकरण में 05 ट्रैक्टर, छाल, सारंगढ़, धरमजयगढ़ में 3-3 टेक्टर की जब्ती की गई है। इसी प्रकार कई थाना खरसिया, चौकी खरसिया द्वारा क्षेत्र में अवैध हजारों घन मीटर मैट्रिक टन डम्प किये गये रेत की जप्ती की गई है।

जुआ, सट्टा, अवैध शराब, कबाड़ पर लगाएं प्रतिबंध, बदमाश प्रवृत्ति के लोगों पर करें कार्रवाईः एसपी मीणा

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा द्वारा आज दिनांक 06/07/201 को पुलिस नियंत्रण कक्ष में जिले के राजपत्रित पुलिस अधिकारियों व थाना, चौकी प्रभारियों की पहली बैठक ली गई। मीटिंग में उपस्थित अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर एसपी मीणा द्वारा थाना प्रभारियों को कार्रवाई एवं थाने में कुछ सुधारात्मक कार्य करने महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले में कहीं भी किसी प्रकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, थाना प्रभारी गुंडा बदमाश रजिस्टर से गुंडा चेक कर खानापूर्ति ना करें। थानों के रजिस्टर में जो बदमाशों के नाम है, उन्हें अपडेट करें जिनकी शिकायतें ज्यादा आ रही है उन पर कार्यवाही करें और जिनकी शिकायतें नहीं आ रही है, बुजुर्ग हो चुके हैं उनका नाम गुंडा लिस्ट से हटावें। थाना प्रभारियों को बीट प्रणाली को सुदृढ़ करने का निर्देश दिए। वे बताये कि वे स्वयं किसी भी बीट जाकर इसकी तस्दीक करेंगे कि बीट प्राभारी क्षेत्र में भ्रमण पर रहता है या नहीं।

पुलिस अधीक्षक द्वारा थाने में किसी भी रिपोर्टकर्ता /शिकायतकर्ता को अत्यधिक समय तक अनावश्यक बिठाने की शिकायत ना आवे कहकर प्रभारियों को सचेत किये। महिला अपराधों व गुम बालक/बालिका के रिपोर्ट आने पर तुरंत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश, चिटफंड के प्रकरणों की पुनः समीक्षा कर प्रगति लाने तथा डीएसपी ट्रैफिक एवं थाना प्रभारी यातायात को शहर की व्यवस्था ठीक करने शहर में पार्किंग स्थल पर वाहन चालक वाहन रखें, इस ओर निरंतर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी प्रभारियों को उनके क्षेत्र के आर्म्स लायसेंसधारी की चेकिंग कर जल्द रिपोर्ट देने कहा गया है। उनके द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सीसीटीवी की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले में जुआ, सट्टा, गांजा, कबाड़, अवैध शराब तस्करी की शिकायतें आने पर संबंधित पर कार्यवाही की जावेगी कहकर सचेत किया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा आने वाले दिनों में पुनः कार्यों की समीक्षा करने मीटिंग लेने संकेत प्रभारियों को दिया गया है।

नाबालिक को भगाने में अपने युवक व सहयोग करने वाला पिता गिरफ्तार

» आरोपी युवक के चाचा को पहले ही गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजी है कोतरारोड़ पुलिस

रायगढ़। दिनांक 06/04/2019 को कोतरारोड़ थाने में नाबालिग के गुम रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 69/2019 धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर बालिका की पतासाजी की जा रही थी। प्रकरण की विवेचना दरमियान जानकारी कि मोहल्ले का विद्या प्रकाश रात्रे भी घर पर नहीं है, प्रथम दृष्ट्या किशोरी को विद्या प्रकाश रात्रे बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया है, इस ओर जांच करते हुए कोतरारोड पुलिस आरोपी युवक के चाचा रेशम रात्रे निवासी मधाईभाठा थाना सरसीवा जिला बलौदा बाजार तक पहुंची। जहां विद्या प्रकाश रात्रे का पिता लखन रात्रे और चाचा रेशम रात्रे नाबालिग बालिका को भगाकर लाना जानते हुए पुलिस को सूचना न देकर दोनों को घर में रखे और उसके बेटे को बालिका को भगा ले जाने में सहयोग किये। आरोपी रेशम लाल घर पर नहीं था जिसकी गिरफ्तारी कर प्रकरण में समय अवधि में चालान धारा 363, 366, 34 आईपीसी के तहत पेश किया गया। शेष आरोपी विद्या प्रकाश रात्रे, एवं लखन रात्रे के विरुद्ध 173(8) सीआरपीसी की कार्यवाही की जानी थी। विवेचना दरमियान ज्ञात हुआ कि आरोपी युवक बालिका को औरंगाबाद, जम्मू कश्मीर की ओर ले जाना ज्ञात हुआ था जिस पर कोतरारोड़ पुलिस औरंगाबाद, जम्मू-कश्मीर जाकर बालिका एवं आरोपी युवक का पता लगाई किंतु पता नहीं चला।

कोतरारोड़ थाना प्रभारी निरीक्षक चमन सिन्हा लगातार आरोपियों पर बालिका को पेश करने का दबाव बना रहे थे। जिस पर आरोपीगण बालिका को लेकर आज थाने आये। बालिका पूछताछ में आरोपी युवक द्वारा औरंगाबाद, पंजाब, दिल्ली की ओर ले जाना और पत्नी की तरह रखना बताई है। बालिका के कथन पर प्रकरण में धारा 368,376 आईपीसी 4,6 पास्को एक्ट जोड़ी गई तथा। आरोपी युवक विद्या प्रकाश रात्रे पिता लखन रात्रि उम्र 24 वर्ष एवं लखन रात्रे पिता महेत्तर रात्रे उम्र 46 वर्ष मूल निवास मधाईभाठा थाना सरसीवा जिला बलौदा बाजार हाल मुकाम कोतरारोड को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है एवं बालिका को दस्तयाब कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया है। प्रकरण की विवेचना आरोपी पतासाजी में टीआई चमन सिन्हा, उप निरीक्षक डीपी भारद्वाज, रामाधर उपाध्याय एवं स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही है।

चोरी में जप्त टीवी को खरसिया पुलिस ने असल मालि को लौटाया

खरसिया। पुलिस चौकी खरसिया स्टाफ द्वारा दिनांक 01.03.2021 को आरोपी प्रेम पेटारी से चोरी की एक माइक्रोमैक्स टीवी जप्त किया गया था, मामले में खरसिया पुलिस आरोपी पर इस्तगासा क्रमांक 02/2021 धारा 41(1-4)सीआरपीसी/379 आईपीसी के तहत कार्रवाई कर आरोपी को जेल दाखिल किया गया था। आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर टीवी मालिक का पता किया जा रहा था जो पिछले 6 माह से घर से बाहर थे , जिस पर चौकी खरसिया पुलिस द्वारा टीवी के मालिक का पता करने धारा 403 आईपीसी का इस्तगासा न्यायालय में पेश की। टीवी मालिक श्रीमती लक्षन देवी चौहान को चौकी खरसिया द्वारा चोरी की टीवी बरामद किए जाने की जानकारी मिलने पर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक नंद किशोर गौतम से संपर्क की, जिसे न्यायालय से सुपुर्दनामा में टीवी प्राप्त करने में मदद कर चौकी प्रभारी द्वारा आज न्यायालय आदेश बाद टीवी की स्वामी को टीवी सुपुर्दनामा में दिया गया। श्रीमती लक्षन देवी टीवी मिलने पर चौकी खरसिया पुलिस को कोटि-कोटि धन्यवाद ज्ञापित की।

बिहान योजना से जुड़कर ग्रामीण महिलाओं की बदली जिंदगी, कलेक्टोरेट में लगी बिहान की फोटो प्रदर्शनी

रायगढ़ । राज्य के प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवारों से कम से कम एक महिलाओं को स्व- सहायता समूह से जोड़ना, उन्हें अधोसंरचना उपलब्ध कराना एवं उनकी वार्षिक आय में वृद्धि कराना बिहान योजना का महत्वपूर्ण ध्येय है। बिहान योजना महिलाओं को स्व-रोजगार से जोड़कर स्वावलंबी बनाने में सबसे बेहतर दिशा प्रदान कर रही है। बिहान योजना का लोगों तक अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार हो इस उद्देश्य को लेकर जिला पंचायत रायगढ़ द्वारा कलेक्टोरेट कैम्पस में फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। जिसमें महिलायें समूह के माध्यम से विभिन्न आयमूलक गतिविधियों से जुड़ी नजर आ रही है। कलेक्टोरेट परिसर में अब प्रत्येक सप्ताह अलग-अलग विभागों से जुड़े विकास कार्यों की फोटो प्रदर्शनी लगाई जाएगी।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए बिहान योजना से जोड़कर उन्हें रोजगार मूलक कार्य उपलब्ध करा रही है। इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। स्व-सहायता समूह के रूप में संगठित कर उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार प्रदान किया जा रहा है। आज महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना से जुड़कर स्वरोजगार की ओर अग्रसर होकर अपने सपने को साकार कर रही हैं।

फोटो प्रदर्शनी से स्पष्ट नजर आ रहा है कि कैसे अलग-अलग समूहों में महिलायें आयमूलक गतिविधियों से जुड़ी हुई है। जैसे प्रिंटिंग प्रेस कार्य करना, मछली पालन, दोना-पत्तल बनाना, आम उत्पादन, कोसा और सामूहिक बाड़ी विकास कार्य, ट्री गार्ड बनाने जैसे कार्य शामिल है। बिहान योजना से जुड़ने के बाद घरघोड़ा विकासखण्ड के ग्राम अमलीडीह की महिलायें प्रिंटिंग प्रेस का कार्य कर लाखों रुपये की कमाई कर रही है। उन्हें सामूहिक प्रिंटिंग प्रेस का कार्य करने के कारण ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान रायगढ़, मनरेगा विभाग आडिट बुक तथा अन्य स्टेशनरी दुकानों से रजिस्टर छपाई का आर्डर मिलने लगा। इसी तरह जनपद पंचायत पुसौर के ग्राम रनभांठा की सरस्वती महिला स्व-सहायता समूह वर्तमान में मछली पालन का कार्य कर रही है। समूह की महिलायें 6 हेक्टेयर का तालाब ग्राम पंचायत के माध्यम से लीज में लिया था और इसमें प्रतिवर्ष मछली पालन का कार्य करती आ रही है। जिससे उन्हें अच्छा लाभ मिल रहा है। बिहान योजना से ही जुड़कर लैलूंगा विकासखण्ड की महिलायें आम के उत्पादन के साथ उनकी तोड़ाई, छटाई एवं पैकेजिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर पिछले तीन सालों में करीब साढ़े पांच लाख रुपये कीमत के लगभग 20 टन आम बाजार में विक्रय कर चुकी है। विकासखण्ड खरसिया की नारायणी स्व-सहायता समूह की महिलायें बांस एवं ट्री गार्ड कार्य कर रही है। समूह की महिलायें बास एवं ट्री गार्ड कार्य करते दो वर्ष से अधिक हो चुका है। इस कार्य से वे अब तक साढ़े चार लाख रुपये से अधिक की आय अर्जित कर चुकी है।

❐ **लॉकडाउन में बैंक सखियों ने किया 13 करोड़ से अधिक का लेनदेन*-** कोरोना काल में आपदा की इस घड़ी में बैंक सखियां विभिन्न माध्यमों से गांव के जरूरतमंदों तक घर पहुंच विभिन्न प्रकार के वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। जैसे मनरेगा भुगतान, पेंशन भुगतान, धान बोनस प्रधानमंत्री जनधन खातों का भुगतान शामिल है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480